राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 96/2023

हरफूल यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिमनपुरा, ब्लॉक कोटपूतली, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2023
आदेश की दिनांक : 11.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिमनपुरा, ब्लॉक कोटपूतली, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.09.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ककरोड़, राजसमंद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिमनपुरा, ब्लॉक कोटपूतली, जयपुर किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2021 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिमनपुरा, ब्लॉक कोटपूतली, जयपुर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोया, गोविन्दगढ़, अलवर 14 माह 16 दिन की अल्पावधि में बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के दुर्भावनापूर्वक किया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2015 का उद्धरण देकर निवेदन किया कि ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है। साथ ही अपीलार्थी वर्तमान में पूर्व पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिमनपुरा, ब्लॉक कोटपूतली, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर माह अक्टूबर, 2021 से पदस्थापित है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)